

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./ (एफ-212)/2019/

दिनांक :

आदेश


श्री मौहम्मद इन्साफ खॉ पुत्र श्री गोरे खॉ निवासी- थलचाना, खातौल तहसील पहाडी, जिला भरतपुर (राज0) ने अभ्यावेदन दिनांक 23.10.2018 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस बी सि रिट पिटिशनियन न0 21914/2018 में पारित आदेश दिनांक 26.09.2018 की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र को सही मानते हुये प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में शामिल कर प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2018 निम्न प्रकार से है -

"In view of above discussion, the writ petition is dismissed. However, it would be open to the petitioner to approach the respondents with reference to letter of the Director, Medical and Health Services, Government of Rajasthan, Jaipur dated 23.09.2018 referred to in letter of Chief Medical and Health Officer, Jaipur-I dated 21.06.2018. It is for the respondents to examine and decide admissibility of the experience acquired by the petitioner for deciding eligibility for appointment"

श्री मौहम्मद इन्साफ खॉ पुत्र श्री गोरे खॉ ने प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में प्रयोगशाला सहायक पद हेतु ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है। अधिकारकों के द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुरहरा (भरतपुर) के क्रमांक 154 दिनांक 19.06.2018 के द्वारा जारी प्रयोगशाला सहायक पद का अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.2017 से 31.03.2017 तक कुल कार्य अवधि 0 वर्ष 11 माह 18 दिवस जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 की जारी दिनांक 29.05.2018 में वर्णित योग्यता की शर्त को पूर्ण नहीं करता है एवं क्रमांक 123 दिनांक 19.06.2018 लेवल अटेंडेन्ट पद का अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 03.04.2017 से दिनांक 31.05.2018 तक कुल कार्य अवधि 1 वर्ष 1 माह 26 दिवस का प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर की अध्यक्षता में निर्माण एवं पैरामेडिकल भर्ती-2018 के लिये गठित नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 09.10.2018 के क्रम संख्या 3 (नीतिगत निर्णय संख्या-19) के द्वारा अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र में विभिन्न प्रकार के पदनाम लिखे जाने पर समिति के निर्णय अनुसार "निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए अनुभव प्रमाण पत्र में दिये गये प्रयोगशाला सहायक व लैब टेक्नीशियन पद एवं एल.ए व एल.टी. जो संक्षिप्त शब्द है के अनुभव को ही मान्य किया जा सकता है।"

अतः याचिकाकर्ता प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018 की जारी दिनांक 29.05.2018 में वर्णित योग्यता की शर्त को पूर्ण नहीं करता है के पारिश्रामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 22.10.2018 को अस्वीकार कर एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।



(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 26/4/19

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./ (एफ-212)/2019/ 112

प्रतिलिपि निम्नांकित को वारं वारं सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम/भरतपुर।
- 2 उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
- 3 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जुरहरा (भरतपुर)।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 5 श्री मौहम्मद इन्साफ खॉ पुत्र श्री गोरे खॉ निवासी- थलचाना खातौल, तहसील पहाडी, जिला भरतपुर (राज0)
- 6 आदेश पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर